



प्रो. प्रेम कुमार धूमल
माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश।



विश्व पर्यावरण दिवस -- 5 जून, 2009

पोलिथीन प्रबन्धन हेतु जन साधारण से

अपील

हमारी सरकार ने वर्ष 1999 में पोलिथीन के अनियमित प्रयोग के मध्य नजर जो पर्यावरण का हास होता जा रहा था उसके लिए हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 के अन्तर्गत पोलिथीन एवं जीव अनाशित कूड़ा-कचरा को सम्पूर्ण राज्य में प्रतिबन्धित करने हेतु अधिसूचना जारी की जिसे समस्त भारत वर्ष में सराहा गया। पिछले कुछ समय से पोलिथीन रूपी दानव ने फिर से अपना विकराल रूप दिखाना शुरू कर दिया है जिससे हिमाचल प्रदेश की सुन्दर एवं विख्यात प्रकृति का हास तो हुआ ही है साथ ही साथ हमारे जल स्त्रोंत, जलाशय, नदियाँ, नाले, झरने, वन सम्पदा, कृषि उत्पादकता एवं जीव जन्तु आदि भी प्रभावित हुए हैं। वर्तमान में यह समस्या सैलानियों के गैर पर्यावरण मित्र व्यवहार के कारण और हमारी संवेदनशीलता और सजगता में कमी आने से और भी बढ़ी है।

इस समस्या का विकराल रूप देखते हुए हमारी सरकार ने यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की धारा 3-ए की उप धारा (1) के अन्तर्गत सभी दुकानदारों स्टॉकिस्ट, ट्रेडर, फुटकर विक्रेता तथा वैंडर आदि जो भी प्लास्टिक बैगों (समस्त आकार) तथा प्लास्टिक की अन्य निवर्तीय (Disposable) वस्तुएं जैसे कि प्लास्टिक कप, गिलास व प्लेट्स आदि जो हिमाचल प्रदेश जीव अनाशित कूड़ा-कचरा (नियन्त्रण) अधिनियम, 1995 की अनुसूचि में वर्णित जीव-अनाशित पदार्थों से निर्मित वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, पर 15 अगस्त, 2009 से पूर्ण प्रतिबन्ध लागू किया जा रहा है।

उपरोक्त प्रावधान के साथ-साथ मेरा ऐसा विश्वास है कि इस समस्या का सम्पूर्ण समाधान तभी सम्भव है जब हम सभी अपने-अपने पर्यावरण दायित्वों का निर्वाह पूरी निष्ठा के साथ करें और इस कार्य को एक यज्ञ की भांति कार्यान्वित कर अपनी धरा का अनादर होने से बचाएं और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश को एक सुन्दर पर्यावरण राज्य के रूप में विकसित करें।

अतः मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है कि आईए हम सब मिलकर अपने हिमाचल को सुन्दर बनाए रखने हेतु पोलिथीन अथवा इससे निर्मित अन्य माध्यमों का सर्वथा त्याग करें एवं हिमाचल को स्वच्छ और हरित प्रदेश बनाएं।

प्रो. प्रेम कुमार धूमल

पर्यावरण, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश

एवं

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् हि0 प्र0 के सौजन्य से जनहित में जारी



Prof. Prem Kumar Dhumal
Hon'ble Chief Minister
Himachal Pradesh

"We must strive to make Himachal Pradesh a 'carbon neutral' state in the country and also reduce Green House Gas (GHG) emissions so as to contribute to the survival of all forms of life."

~ Prof. Prem Kumar Dhumal



Sh. J.P. Nadda
Hon'ble Minister

Forests, Environment, Science & Technology

Let us come together and celebrate the
World Environment Day - 5th June, 2009
at 10 AM, The Ridge, Shimla.

'Your Planet Needs You - Unite to Combat Climate Change'



INITIATIVES OF THE GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

- Promoting CFL – as energy saving instruments;
- Promoting Hydel sector for meeting energy requirement of the State;
- Initiating Community Led Assessment, Awareness, Advocacy and Action Programme for Environment Protection and Carbon Neutrality in Himachal Pradesh;
- Promoting use of solar passive technologies and initiated process of energy efficiency, waste and water audits;
- Undertaking afforestation and watershed management programmes;
- Banned use of coal, fossil fuels and other traditional materials for the purpose of space heating;
- Ban on use of Polythene/Plastic carry bags w.e.f. 15th August 2009;
- Created 'Himachal Pradesh Environment Fund';
- Promoting Rain Water Harvesting etc.



DEPARTMENT OF ENVIRONMENT, SCIENCE & TECHNOLOGY
GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

In association with:

H.P. STATE POLLUTION CONTROL BOARD
STATE COUNCIL FOR SCIENCE, TECHNOLOGY & ENVIRONMENT